(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2012 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30–4–2012 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(5) प्रस्तावित कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई में वृद्धि, नये कार्य बढ़ाना, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की, तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार किया नहीं किया जायेगा।

(6) सड़क निधि हेतु गठित प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(7) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(8) इस निधि से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– प्रश्नगत कार्यों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत– 04–जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–57–राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण–24–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत वहन किया जायेगा तथा प्रश्नगत कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एच0एन0पी0 कुशवाहा)
अनु सचिव।

संख्या–यू0ओ0–190(1)/23–1–11–350रा0स0नि0/11, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार प्रथम (निर्माण), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बाराबंकी
3. मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय–1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
7. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. लोक निर्माण अनुभाग–10
9. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच0एन0पी0 कुशवाहा)
अनु सचिव।

Y-ck 2011-12-S. 62